<u>न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।</u>

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 74490/2026
उ0प्र0 राज्य बनाम दिलशाद सिद्दीकी
मु0अ0सं0– 77/2026
धारा– 305, 317(2) बी0एन0एस0
पुलिस थाना– पूरामुफती, प्रयागराज।

<u>दिनांक– 13.08.2026</u>

1. अभियुक्त **दिलशाद सिद्दीकी** की तरफ से मु0अ0सं0–77/2026 धारा– 305, 317(2) बी0एन0एस0 पुलिस थाना– पूरामुफती, प्रयागराज के अन्तर्गत जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र पर आज ही निस्तारण करने पर बल दिया गया है।

2. अभियुक्त की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है न ही निरस्त किया गया है। अभियुक्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कभी भी दोषसिद्ध नहीं है। अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त जमानत देने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

3. विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया और तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपराध की प्रकृति अजमानतीय है।

4. विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 18.06.2026 को समय 9:15 ए.एम. से 6:18 पी.एम. के बीच वादी मुकदमा के घर में घुसकर वादी की पत्नी का गहना और जेवर चोरी करने का अभियोग है। दिनांक 21.07.2026 को अभियुक्तगण अ.सं. 234/2026 पुलिस थाना–धूमनगंज के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के गहने बेचने से क्रमशः 7300/– तथा 11,700/–रूपया बरामद हुआ है और अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है।

6. अपराध अजमानतीय तथा गंभीर प्रकृति का है। विवेचना प्रचलित है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त के जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः उपरोक्त मामले में अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

7. **<u>आदेश</u>**

अभियुक्त **दिलशाद सिद्दीकी** की तरफ से मु0अ0सं0–77/2026 धारा– 305, 317(2) बी0एन0एस0 पुलिस थाना– पूरामुफती, प्रयागराज के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

अभियुक्त को आदेश की निःशुल्क प्रति दिया जाये।

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रयागराज।
जे0ओ0कोड यू0पी0 2122